


28.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील निर्णित होकर खारिज होने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

